Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण में संविधान की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विजय लक्ष्मी जोशी *

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शोध सार :– प्रस्तुत शोध आलेख में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को परिभाषित कर भारतीय संविधान की भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण में भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। मनुस्मृति के अध्याय 3 में कहा गया है कि –

'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता:।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला: क्रिया:।।'

अर्थात् जहॉ स्त्रियों की पूजा होती है वहॉ देवता निवास करते है और जहॉ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता है वहॉ किए गए समस्त कार्य निष्फल हो जाते है। हजारों वर्ष पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त थे, वे वेदों का पठन–पाठन करती थी। वेदों में 404 ऋषियों में 30 ऋषि महिलाए थी। वे युद्धकला तथा प्रशासनिक कार्यों में भी पारगंत थी, कोई भी धार्मिक कार्य उनके बिना पूर्ण नहीं होता था किन्तु फिर शनै: शनै: उनकी स्थिति बदत्तार होती गई उन्हें शिक्षा, सम्पति एवं समाज में पुरूषों के समान आधिकार से वंचित कर दिया गया, वे केवल उपभोग का एक साधन मात्र बनकर रह गई। संविधान के लागू होने के पूर्व भारतीय समाज में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण का अस्तित्व ना के बराबर था। संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें दक्षिणायनी वेलायुधन, सरोजिनी नायडू, बेगम .कदारिया ऐजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, पूर्णिमा बेनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी आदि प्रमुख थी जो महिलाओं की तत्कालीन दयनीय स्थिति से अच्छी तरह परिचीत थी। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर भी लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के कट्टर समर्थक थे। अत: उन्होनें भारतीय संविधान में ऐसे उपबंधों को अंतर्विष्ट कराया जो महिला के प्रति लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त कर सके एवं उन्हें पुरूषों की अपेक्षा अतिरिक्त विशेषाधिकार देकर सशक्त कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 16(1), 21, 21क, 23, 38(क), 38(घ), 38(ड़), 42, 44, 51क(ड़), 243घ(3), 243घ(4), 243न(3), 243न(4), 325 इसके जीवंत दृष्टांत है जिनका वर्णन प्रस्तुत शोध आलेख में किया गया है।

प्रस्तावना

लैंगिक समानता का अर्थ – विभिन्न अंतराष्ट्रीय संगठनों ने लैंगिक समानता को निम्न प्रकार परिभाषित किया हैं–

संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार – लैंगिक समानता का अर्थ पुरूषों और महिलाओं, बालक और बालिकाओं को समान अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर प्राप्त होना हैं।

यूनिसेफ के अनुसार – लैंगिक समानता का अर्थ हैं कि महिलाओं और पुरूषों, लड़कों और लड़कियों को समान अधिकारों, स्वतंत्रताओं, संसाधनों, अवसरों और सुरक्षा का आनंद प्राप्त हो।

आसान शब्दों में लैंगिक समानता का अर्थ हैं अधिकार, उत्तरदायित्व, अवसर एवं स्वतंत्रता प्रदान करनें में महिला और पुरूषों के बीच लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। लैंगिक समानता प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज के विकास के लिए आवश्यक है इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे सतत् विकास के 17 लक्ष्यों में से 5 वॉ लक्ष्य निर्धारित किया है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ – सशक्तिकरण शब्द स+शक्ति+करण से मिलकर बना है जिसका अर्थ है शक्ति सहित गति। सशक्तिकरण एक निर्बल को सबल बनाने की प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेनें में पूरी तरह स्वतंत्र हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई दवाब न हो। अत: महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह हैं कि महिलाओं को इस योग्य बनाना कि वे अपने जीवन के सारे निर्णय स्वयं बिना किसी दवाब के ले सके, उनके अपने जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण हो। उन्हें इस योग्य बनाने के लिए निति निर्माण में उनकी बराबर की भागीदारी, राजनीति, व्यापार, समाज के साथ–साथ घर के प्रत्येक निर्णयों में उनकी पुरूषों के समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक हैं।

अत: महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाने की प्रक्रिया हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण प्रदान करना और उन्हें पुरूषों के समान अवसर प्रदान करना है। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम हैं।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में संविधान की भूमिका –

भारतीय संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था। लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निदेशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार भी देता है। समय-समय पर संविधान में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाते रहे है चाहे वह 42वॉ संशोधन हो 73 एवं 74वॉ संशोधन हो या फिर संसद में महिला आरक्षण के लिए किया गया 123वॉ संशोधन हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय संविधान ने भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण में अनूठी भूमिका निभाई है भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध इसका जीवंत साक्ष्य हैं।

मूल अधिकार – संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में।

अनुच्छेद 14 में सभी व्यक्तियों को जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है।

वाद- एयर इण्डिया विरूद्ध नरगिस मिर्जा

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लांइस द्वारा बनाए गए विनियमों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि उनके अधीन 35 वर्ष की आयु में विवाह होने पर या गर्भवती होने पर सेवामुक्ति करने वाली सेवा शर्त अयुक्तियुक्त और विभेदकारी हैं तथा अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है।

वाद- विजय लक्ष्मी विरूद्ध पंजाब विश्वविद्यालय

के मामले में विश्वविद्यालय कैलेण्डर के एक नियम के तहत महिला विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर केवल महिलाओं की नियुक्ति के प्रावधान को चुनौती देने पर न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि यह नियम अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि इसके अधीन किया गया वर्गीकरण युक्तियुक्त है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15(3) के अधीन राज्य को स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति हैं।

वाद- अनुज गर्ग विरूद्ध भारत का होटल संघ

के वाद में पंजाब सरकार के एक अधिनियम की धारा 30 जिसके अधीन होटल या बार में शराब परोसने के कार्य में महिलाओं के नियोजन पर रोक लगा दी, को चुनौती देने पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त अधिनियम स्त्री और पुरूष में लिंग के आधार पर भेद करता है, अत: अवैध है।

1. **अनुच्छेद 15(1)** केवल लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता हैं।

2. **अनुच्छेद 15(3)** राज्य को स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता हैं।

वाद- दत्तात्रेय विरूद्ध स्टेट

के मामलें मे न्यायालय ने यह कहा कि राज्य द्वारा केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसमें उनके लिए स्थान आरक्षित करना अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण नहीं है।

वाद- यूसुफ अब्दुल अजीज विरूद्ध बंबई राज्य

में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती देने पर कि यह जारकर्म के अपराध के लिए केवल पुरूष को दण्डित करती है स्त्री को नहीं, अत: लिंग के आधार पर विभेद करने के कारण यह अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण करती है। न्यायालय ने निर्णीत किया कि धारा 497 वैध है क्योंकि वर्गीकरण केवल लिंग के आधार पर नहीं बल्कि समाज में स्त्रियों की विशेष स्थिति के आधार पर किया गया हैं।

वाद- टी. सुधाकर रेडडी विरूद्ध आ. प्र. राज्य

में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(3), 16(2), 16(4) के अधीन सरकारी नौकरियों में स्त्रियों को यदि वे पुरूषों के समान योग्य एवं उनकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त है तो राज्य को उन्हें प्राथमिकता देनें की शक्ति प्राप्त है।

3. **अनुच्छेद 16(2)** राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल लिंग के आधार पर विभेद या अपात्रता का निषेध करता है।

4. **अनुच्छेद 21** द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत व्यापक अधिकार है न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से इस अधिकार के अधीन निम्नलिखित अधिकारों को शामिल किया है-

- **एकांतता का अधिकार :-**

महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध मधुकर नारायन

के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार प्राप्त हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

सुरजित सिंह विरूद्ध जीत कौर

के मामले न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि महिला के कौमार्य परीक्षण के लिए अनुमति देना अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त उसके एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है।

व **अन्तर्जातीय विवाह करने का अधिकार :-**

लता सिंह विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य

में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक वयस्क बालिका को अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है।

- **बलात्कार से पीड़ित महिला का अंतरिम प्रतिकर पाने का अधिकार :-**

बोधीसत्व गौतम विरूद्ध शुभ्रा चक्रवर्ती एवं **दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमन फोरम विरूद्ध भारत संघ** के मामलों में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया हैं कि न्यायालय को बलात्कार की शिकार महिला को अंतरिम प्रतिकर देने की शक्ति है जब तक कि परीक्षण न्यायालय अभियुक्त के ऊपर लगाए आरोप पर अपना निर्णय नहीं दे देता है।

- **श्रमजीवी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार :-**

वाद- विशाखा विरूद्ध राजस्थान राज्य

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के स्थान पर होने वाले यौन उत्पींड़न को रोकने के लिए, जब तक इस हेतु कोई विधि नहीं बन जाती विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अधीन सुरक्षित काम का अधिकार भी शामिल है।

वाद- एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विरूद्ध ए. के. चौपड़ा

के वाद में न्यायालय ने विशाखा के मामलें में विहित सिद्धांतों को लागू कर यौन शोषण के दोषी एक कंपनी के उच्च अधिकारी को सेवा से निकाल दिया। न्यायालय ने कहा कि कार्य के स्थान पर यौन शोषण महिला कर्मचारी

के अनुच्छेद 21 और 14 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

5. **अनुच्छेद 23** 'मानव के दुर्व्यापार' और बलातश्रम का प्रतिषेध करता है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत केवल स्त्रियों का वस्तुओं की भाँति क्रय-विक्रय ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें उनका अनैतिक व्यापार, वैश्यावृति, एवं इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग करना भी आता है।

नीति निदेशक तत्व :- संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व में-

1. **अनुच्छेद 39(क)** में राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
2. **अनुच्छेद 39(घ)** में राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
3. **अनुच्छेद 39(इ)** राज्य को यह निर्देश देता हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरूपयोग न हो।
4. **अनुच्छेद 42** राज्य को कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने एवं महिला कर्मचारियों हेतु प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है।
5. **अनुच्छेद 44** में राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया हैं। यह संहिता निजी मामलों जैसे- विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, भरण-पोषण, दत्तक आदि में सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार देकर उनके साथ लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता का बढ़ावा देगी।

वाद- शाह बानो बेगम विरूद्ध मोहम्मद अहमद खान

के वाद में न्यायालय ने सर्वप्रथम एक समान सिविल संहिता को लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अनुच्छेद 44 मात्र एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। सरकार ने इसे लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है।

मूल कर्तव्य :- भारतीय संविधान के भाग 4क 'मूल कर्तव्य' में अनुच्छेद 51क(इ) में सभी भारतीय नागरिको पर यह मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।

73वॉ एवं 74वॉ संविधान संशोधन :- 73वॉ एवं 74वॉ संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 पंचायत एवं भाग 9क नगरपालिकाएँ जोड़ा गया। इसमें भाग 9 में अनुच्छेद 243घ(3) में ग्राम पंचायतों में कुल स्थानों का कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का एवं अनुच्छेद 243घ(4) में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष का पद महिलाओं हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसी प्रकार भाग 9क के अनुच्छेद 243न(3) में नगरपालिकाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित रखने एवं अनुच्छेद 243न(4) में नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पद महिलाओं हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 325 :- अनुच्छेद 325 में लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने हेतु अपात्र होने का निषेध किया गया हैं। इस अनुच्छेद द्वारा सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को जिसमें महिलाएँ भी शामिल है, मतदान का अधिकार दिया गया हैं जबकि उस समय यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका जैसे विकसीत देश के संविधान द्वारा भी सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था तब उस समय हमारे संविधान ने महिलाओं को भी मत देने का अधिकार देकर महिला सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति :- संविधान के लागू होने के पश्चात अभी तक लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु कई कानून जैसे- समान वेतन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005, प्रसूति प्रसुविधा(संशोधन) अधिनियम 2017, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013, महिलाओं का अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पारित किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाएँ जैसे- 1993 में सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, 2002 में जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वन स्टॉप सेंटर, लाड़ली लक्ष्मी योजना आदि चलाई जा रही हैं किन्तु फिर भी हम भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं। संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा यद्यपि ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित किए गए हैं किन्तु महिलाएँ चुनाव जीत जानें के बाद भी पंचायत में **'मुखिया पति', 'सरपंच पति'** एवं नगरपालिका में **'पार्षद पति'** की परंपरा के कारण महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। चुनाव जीतने के बाद भी महिलाएँ राजनैतिक फैसले नहीं ले सकती है। वर्तमान समय में देश की लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद है, वही राज्यसभा में केवल 24 महिला सांसद है। कुल 28 राज्यों में केवल 1 महिला मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रपति के पद पर अभी तक केवल 2 बार ही महिलाएँ निर्वाचित हो पाई है। 2019 में संसद मे केवल 14% महिला सांसद थी। संसद में महिला आरक्षण विधेयक जो कि 1998 से लंबित था, पारित होने के बावजूद, महिलाओं के जीतने की दर पुरूषों से अधिक होने के बावजूद इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने केवल 16%, कांग्रेस ने 11%, टी.एम.सी. ने 28% टिकट महिलाओं को दिए केवल बीजद ने 33% टिकट महिलाओं को दिए। ऐसी परिस्थितियों में भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण मुश्किल हैं। न्यायपालिका में उच्च स्तर पर उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या ना के बराबर है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में महिला और पुरूषों के बीच असमानता कम हुई है। इसके अतिरिक्त महिला कार्यबल में भी कमी आई है इसका मुख्य कारण कार्यस्थल पर महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा एवं पुरूषों की तुलना में कम वेतन है। फिल्म उद्योग में पुरूष कलाकारों को उनकी साथी महिला कलाकार की तुलना में काफी अधिक वेतन मिलता है, इसी तरह एक लंबे समय तक भारतीय पुरूष क्रिकेट खिलाड़ियों को BCCI द्वारा महिला खिलाड़ियों की तुलना में कई गुना अधिक फीस दी जाती थी 2022 में इस भेदभाव को समाप्त किया गया। World Inequality Report **2022** के अनुसार भारत में कुल श्रमिक आय में पुरूषों का हिस्सा 82% जबकि महिलाओं का हिस्सा केवल 18% है। **जेंडर गेप रिपोर्ट 2023** के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामलें में कुल 146 देशों में 127वें स्थान पर रहा।

निष्कर्ष - निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भारतीय संविधान

ने भारत में महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किन्तु फिर भी हम लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस स्थिति में सुधार हेतु लैंगिक समानता से जुड़े कानूनों को कड़ाई से लागू करने, समाज की पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने की एवं आम बजट में 'जेंडर बजट' की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें देश में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़े डाटा एकत्र करने एवं उसके आधार पर राज्यों की रैंक जारी करने की आवश्यकता है, जिस तरह रवांडा मे जेंडर मॉनिटरिंग ऑफेस और फिनलैण्ड में जेंडर इक्विलिटी यूनिट स्थापित की गई है। यदि राज्य सरकारें ऐसी ही ईकाईयों की स्थापना करें तो महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। अत: वास्तव में देखा जाए तो हमें अब महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को किताबों और सेमिनारों से बाहर निकालकर धरातल पर लाने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण(2009) *'भारत का संविधान'* 42वॉ संस्करण। इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ एजेंसी.
2. गौतम, श्रुति(2023) '*भारत में महिला सशक्तिकरण*' (ऑनलाइन)। यहॉ उपलब्ध हैं: https://www.drishtiias.com/hindi/blog/women-employment-in-india(एक्सेस: 15 अप्रैल 2024).
3. Drishti IAS(2022)'*भारत में महिलाओं की स्थिति*'(ऑनलाइन)। यहॉ उपलब्ध है: https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-editorials/status-of-women-in-india. (एक्सेस: 13 अप्रैल 2024).
4. NEXT IAS Content Team(2024) '*भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता*' (ऑनलाइन)। यहॉ उपलब्ध हैं: https://www.nextias.com/blog.(एक्सेस: 13 अप्रैल 2024).
5. ढक(2024) 'नारी शक्ति.... जीतने में पुरूषों से आगे, फिर भी बड़े दलों में उम्मीदवारी 16% ही.' *दैनिक भास्कर*, 15 अप्रैल, पृष्ठ क्र. 2
6. Drishti Media(videos) (2019) *Politics on Women Employment- AudioArticle*. 18 March. Available at :https://youtu.be/HY2oYtJtMr0?si=6j-7K8ALdUHEqLdUHEqLNu. (accessed: 12 April 2024).
7. Sansad tv (2022) *महिला सशक्तिकरण/75*– 15August. Available at: https://youtu.be/jtS1F052GgY?si=MCyN4adcMSyvL. (accessed: 11 April 2024).

****